न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्षमण

अपील संख्याः— 201 / 2022

श्री दोलाराम पुत्र तारूराम, जाति जाट, निवासी दिलोई, तहसील बिसाउ, जिला झुंझुनूं।

—

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं।
2. श्री औंकारमल पुत्र चिमनाराम, जाति जाट, निवासी दिलोई दक्षिण (उचित मूल्य दुकानदार तहसील बिसाउ, जिला झुंझुनूं।

—

— — —

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 06.10.2022 द्वारा जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं, विभागीय प्रकर 208 / 2018

— — —

उपस्थित : —

1. श्री नेकीराम बुडानिया एवं श्री कंचनसिंह चौधरी, एडवोकेट — अपीलार्थी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से।
3. श्री विकास कुमार, विभागीय पैरोकार — रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से ।

आदेश

दिनांकः— 2

प्रस्तुत अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 06.10.2022 मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा मि0 पर बहस सुनी गई का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया अपीलान्ट पीडित शिकायतकर्ता के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि श्री औंकारम मूल्य दुकानदार दिलोई के विरूद्व उपभोक्ताओं की शिकायते 2008 से लगातार शिकायतें प्राप्त है। इनका व्यवहार खराब बताये जाने के कम मे पुनः 2018 मे अपीलान्ट व अन्य अन्य ग्रामवासि श्रीमान् जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को प्रार्थना पत्र बाबत शिकायत प्रस्तुत की गई जिस रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा दिनांक 26.03.2018 को उक्त अपीलान्ट व अन्य की शिकायत प्रवर्तन निरीक्षक, झुंझुनूं से करवाई गई जिसमे शिकायतकर्ताओं के साथ अभ्रद्र व्यवहार करन सुरक्षा के पात्र होने के बावजूद गेहूं नही देने का आरोप ... पर कार्यालय आदेश कम दिनांक 26.03.2018 से उक्त औंकारमल ... कार्यालय 1659 के जरिये नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया ... जांच दल से जांच करवाई गइ 21.06.2018 को प्रर्वतन अधिकारी ने जांच ... जिसमे उक्त राशन ... उपभोक्ताओं को एक—एक वर्ष से लम्बी अवधि तक की गेहूं नही देना, अमानक कांटे व बाटों से राशन देने की अनियमिततायें पाई। जांच दल प्रर्वतन अधिकारी के समक्ष स्वयं डीलर ने भी बाटों व अेहूं नही देने के तथ्यों को स्वीकार किया। उक्त डीलर के विरूद्व पूर्व मे भी विभागीय संख्या 137 / 2017 व 155 / 2017 द्वारा प्रतिभूति राशि जप्त कर डीलर का लाइसेन्स निरस्त गया। उक्त डीलर के विरूद्व कुछ वर्ष पूर्व पुलिस थाना बिसाउ मे भी राशन सामग्री की अनिय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.22 17:25:03 IST
Reason: SelfAttested

के क्रम मे एक प्रथम सूचना रिपोर्ट 91/2009 दिनांक 22.09.2009 को प्रर्वतन निरीक्षक श्री
पंचायत समिति अलसीसर द्वारा दर्ज करवाई गई जिसमे पुलिस थाना बिसाउ द्वारा उक्त राश
के विरूद्व न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं के समक्ष चार्जसीट पेश की
तत्पश्चात् दौराने ट्रायल उक्त प्रकरण मे दिनांक 19.12.2018 को उक्त औंकारमल द्वारा
प्रकरण संख्या 421/2010 सरकार बनाम औंकारमल अ0धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट मे स्वेच्छ
स्वीकार किया जिस पर न्यायालय द्वारा औंकारमल को दोषी माना गया तथा सुधरने का अव
करते हुए परिवीक्षा का लाभ दिया जाकर जुर्माने से दण्डित किया गया। दिनांक 26.06.2018
प्रकरण मे उक्त औंकारमल की प्रतिभूति राशि जप्त कर लाइसेन्स निलम्बित किया गया। उ
के विरूद्व न्यायालय श्रीमान् के समक्ष एक अपील सं0 72/2018 उक्त औंकारमल द्वारा प्रस्तुत
थी जो उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 27.08.2018 को निर्णित कर श्रीमान् जि
अधिकारी के निर्णय दिनांक 26.06.2018 को यथावत रखकर उक्त औंकारमल की अपील यथा
हुए खारीज कर दी गई। तथ्यश्चात् उक्क्त औंकारमल की अपील न्यायालय अतिरिक्त खाद्य
जयपुर के समक्ष एक पुर्ननिरीक्षण याचिका दायर की गई थी। याचिका के नम्बर 46/2018 या
निर्णय दिनांक 28.07.2021 को किया जाकर प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया गया तथा उक्त या
निर्णय मे यह भी आदेश दिया गया कि उक्त प्रकरण संख्या 208/2018 का निर्णय 2 माह
मे पारित करें। जिस पर दिनांक 06.10.2022 को उक्त प्रकरण संख्या 208/2018 का निण
रसद अधिकारी, झझुंझुनूं द्वारा किया जाकर औंकारमल का प्राधिकार पत्र 787/2000 को बह
गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही
उक्त अपीलान्ट व अन्य व्यक्ति ग्रामवासियान दिलोई द्वारा उक्त औंकारमल के विरूद्व शिकाय
की गई। इस तरह अपीलान्ट व ग्रामवासियान पीडित पक्षकार की तारीफ मे आते है। इसलिए
शिकायतकर्ताओं की ओर से उक्त अपीलान्ट दोलाराम को उक्त आदेश की अपील करने हेतु
किया गया है इसलिए यह अपील प्रस्तुत करने के लिए उक्त अपीलान्ट पीडित पक्षकार होक
करने का अधिकारी है। इसलिए अपील निम्न आधार पर पेश है कि अदालत मातहत का आदे
कानून व पत्रावली है। अदालत मातहत का निर्णय महज कयास पर आधारित होकर एक
आर्डर की तारीफ मे नही आता है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय मे प्रस्तुत जांच रिपोर्ट
तथ्यों की सन्तुष्टि का कोई आधार दर्ज नही किया है। अदालत मातहत का आदेश स्पष्ट अ
है। अदालत मातहत को पत्रावली जिस आधार पर विभिन्न तथ्यों तथ्यों की जांच व स
कोई आधार अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे अंकित नही किया है। पूर्व जांच 21.06.2018
से सन्तुष्ट होकर अदालत मातहत ने उक्त डीलर का लाइसेन्स निरस्त किया था वर्तमान जा
जांच से सन्तुष्टि व असन्तुष्टि का क्या आधार रहा है और क्या उक्त डीलर को द
गया है या नही माना गया इस बाबत भी कोई तथ्य अदालत मातहत ने अपने आदेश मे अं
किया है। इस तहत अदालत मातहत का निर्णय मनमाना है। जिस डीलर का पूर्व मे तीन बार
निरस्त हो चुका हो तथा धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट मे प्रस्तुत चालान पुलिस थाना बिसाउ
डीलर द्वारा अपना स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया गया हो और न्यायालय द्वारा जिस डीलर
मानकर सुधरने का अवसर दिया गया हो उन सभी तथ्यों का मध्य नजर नही रखते हुए वर्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.22 17:25:03 IST
Reason: SelfAttested

मे जिला सरद अधिकारी की सन्तुष्टि का आधार व एक आदतन अपराध करने वाले डी
लाइसेन्स बहाल किये जाने के क्या कारण रहे है उक्त तथ्यों बाबत अदालत मातहत ने अपने
कोई सन्तोषप्रद आधार प्रस्तुत नही किये। इस प्रकार अदालत मातहत का आदेश प्राकृतिक
सिद्वान्तों के विरूद्व है। दौराने पुनः जांच किसी भी शिकायतकर्ता को ना तो कोई नोटिस जा
गया और ना ही सुना गया और ना ही कोई दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य को प्रस्तुत करने का
दिया गया। इस प्रकार आलत मातहत द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों का उल्ल्घंन कर बिन
पक्ष को अवसर दिये मनमाना आदेश पारित किया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि
अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 06.
को निरस्त कर उक्त राशन डीलर का लाइसेन्स निरस्त फरमाया जावे।

बहस सुनी गयी । वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पु
करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत का निर्णय महज कयास पर आधारित होकर एक
आर्डर की तारीफ मे नही आता है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय मे प्रस्तुत जांच रिपोर्ट त
तथ्यों की सन्तुष्टि का कोई आधार दर्ज नही किया है। अदालत मातहत का आदेश स्पष्ट आ
है। अदालत मातहत को पत्रावली जिस आधार पर रिमाण्ड की गई उन तथ्यों की जांच व सन्
कोई आधार अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे अंकित नही किया है। पूर्व जांच 21.06.2018
से सन्तुष्ट होकर अदालत मातहत ने उक्त डीलर का लाईसेन्स निरस्त किया था वर्तमान जां
जांच से सन्तुष्टि व असन्तुष्टि का क्या आधार रहा है। वर्तमान जांच मे उक्त डीलर को दो
गया है या नही माना गया इस बाबत भी कोई तथ्य अदालत मातहत ने अपने आदेश मे अं
किया है। इस तहत अदालत मातहत का निर्णय मनमाना है। जिस डीलर का पूर्व मे तीन बार
निरस्त हो चुका हो तथा धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट मे प्रस्तुत चालान पुलिस थाना बिसाउ
डीलर द्वारा अपना स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया गया हो और न्यायालय द्वारा जिस डीलर
मानकर सुधरने का अवसर दिया गया हो उन सभी तथ्यों का मध्य नजर नही रखते हुए वर्तम
मे जिला सरद अधिकारी की सन्तुष्टि का आधार व एक आदतन अपराध करने वाले डी
लाइसेन्स बहाल किये जाने के क्या कारण रहे है उक्त तथ्यों बाबत अदालत मातहत ने अपने
कोई सन्तोषप्रद आधार प्रस्तुत नही किये। इस प्रकार अदालत मातहत का आदेश प्राकृतिक
सिद्वान्तों के विरूद्व है। दौराने पुनः जांच किसी भी शिकायतकर्ता को ना तो कोई नोटिस जा
गया और ना ही सुना गया और ना ही कोई दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य को प्रस्तुत करने का
दिया गया। इस प्रकार आलत मातहत द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों का उल्ल्घंन कर बिन
पक्ष को अवसर दिये मनमाना आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार क
अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 06.10.2022 को निरस्त कर उक्
डीलर का लाइसेन्स निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.22 17:25:03 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों क
किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2022

नियमानुसार पारित किया गया है। अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अपीलान्ट की अपील फोर्स नही है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई फोर्स नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरो तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपील मेमो मे शुरू मे तो अपीलकर्ता दोलाराम को अंकित किया जबकि अन्त मे अपीलकर्ता शिवचन्द अंकित किया गया है। अपील मेमो से स्पष्ट नही है कि य दोलाराम द्वारा की गई है या शिवचन्द द्वारा। अपीलान्ट की यह अपील प्रोपर नही है। अत अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। अपील मेमो से साफ जाहिर है कि अपील मेमो मे शु अपीलकर्ता दोलाराम को अंकित किया गया है जबकि अन्त मे अपीलकर्ता शिवचन्द अंकित कि है। अपील मेमो से स्पष्ट नही है कि यह अपील दोलाराम द्वारा की गई है या शिवचन्द द्व स्थिति मे अपीलान्ट की यह अपील प्रोपर नही है। अपील प्रोपर नही होने से अपील अपीलान्ट फोर्स नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है साथ अपीलान्ट प्रोपर तरीके से अपील पेश करने के लिए स्वतृत्र होगा। अतः पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुड़ि
जिला कलक्टर, अ

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.22 17:25:03 IST
Reason: SelfAttested